यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** के माह 08/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक,श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक23.07.2020 से 05.08.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरुण कुमार शर्मा,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ),श्री राजेश कुमार सिन्हा,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संजीव कुमार,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 22.08.2019 से 03.09.2019तक श्री अनिल कुमार जैन,वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 05/2018 से 07/2019तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**ज़िला देहरादून के अंतर्गत समस्त चलित नलकूपों एवं खंड के अंतर्गत चलित लिफ्ट सिंचाई योजना के अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य,नवीन नलकूपों का निर्माण, जल वितरण का जीर्णोद्वार एवं विस्तारीकरण का कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत (-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	791.67	791.67	4678.74	4678.74	-	-
2019-20	-	-	733.33	733.33	5522.18	5519.22	-	2.96

2020-21(माह 07/2020 तक)	-	-	9.05	281.22	3210.63	--	--	--
वित्तीय वर्ष 2020-21 (जुलाई 2020) तक globalhead में व्यय दर्शाया गया है जबकि आवंटन प्रमुख अभियंता (विभागीय स्तर) पर सामूहिक हुआ है।								

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्यसरकारद्वारा किया जाता है। इकाई "अ"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, देहरादून
5. अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, देहरादूनको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, देहरादूनकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माहअगस्त 2019 एवं मार्च 2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi) विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में अधीक्षण अभियंता द्वारा किए गए निरीक्षण के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(vii) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः यंत्र/ संयंत्र पंजिका की वार्षिक बंदी माह 09/2016 तक तथा स्टॉक लेखा माह 09/2013 तक की है।

(viii) फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - रु 74522.25

भाग द्वितीय - रु 2035416.29

(ix) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2020 के अन्त में:-

(धनराशि रु॰ में)

(i)	नगद परिशोधन	8585201.75/-
(ii)	सामग्री क्रय	शून्य
(iii)	निक्षेप पंजिका	16393180.26/-
(iv)	प्रकीर्ण अग्रिम	₹3874518.75/-
(v)	भण्डार	13188980.28/-

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1:हस्तांतरित नलकूप के विद्युत देयको का अनियमित दायित्व सृजन ₹29.40 लाख एवं असफल राजकीय नलकूप के अनार्थिक संचालन।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,नलकूप खंड,(सिंचाई विभाग), देहरादून अंतर्गत राजकीय नलकूपों के संचालन की स्थिति (अप्रैल 2020) निम्नवत है।

विवरण	कुल संख्या	हस्तांतरित	असफल	परित्याग	चालित नलकूप/लिफ्ट की संख्या
नलकूप	213	03	10	07	193
मिनी नलकूप	13	--	--	--	13
लिफ्ट	26	--	--	--	26
कुल	**252**	**03**[1]	**10**	**07**	**232**

लेखा परीक्षा द्वारा नलकूप के संचालन संबंधी अभिलेखो की जांच (जुलाई 2020) में पाया गया कि,खण्ड द्वारा ग्राम कोल्हूपानी में स्थित नलकूप (51DD)जल संस्थान को हस्तांतरित किया गया था किन्तु उक्त नलकूप का विद्युत कनैक्शन (**SCN:MP0K000021533**) वर्तमान में अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड के नाम ही है। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा भी नियमित रूप से नलकूप का विद्युत देयक भी नलकूप खंड के नाम से जारी किया जा रहा है, खण्ड द्वारा न तो विद्युत देयकों का भुगतान किया जा रहा है और न ही विद्युत कनैक्शन के हस्तांतरण/Disconnection हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। माह जून 2020 तक उक्त नलकूप का ₹29,40,091का बिल बकाया है। यद्यपि खंड द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान भले ही न किया जा रहा है किन्तु जब तक विद्युत कनैक्शन खंड के नाम से है तब तक नलकूप से संबन्धित समस्त देयकों (Liability) के भुगतान की ज़िम्मेदारी खंड की ही है।

अतः स्थानांतरित नलकूप के विद्युत कनैक्शन के हस्तांतरण/Disconnection हेतु कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण विद्युत देयकों नलकूप के विद्युत बिल ₹29,40,091 का परिहार्य दायित्व का सृजन किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण काफी पुराना है इसलिए विद्युत कनैक्शन के हस्तांतरण/Disconnection से संबन्धित अभिलेखो को खोज कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह भी अवगत कराया कि बिल का भुगतान जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि UPCL द्वारा नियमित रूप से नलकूप का विद्युत देयक भी खंड के नाम से जारी किए जाने के बावजूद भी विद्युत कनैक्शन के हस्तांतरण/Disconnection हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बिल का भुगतान जल संस्थान द्वारा किए जाने संबंधी कोई भी साक्ष्य/अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

1

नलकूप संख्या	ग्राम का नाम	निर्माण वर्ष	हस्तांतरण का वर्ष
47DD	ठाकुरपुर	1984	1992
51DD	कोल्हूपानी	1998	-------
53DD	कुवांवाला	1989	1989

लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया कि, खंड के अंतर्गत असफल श्रेणी में शामिल 10 नलकूप (04DD,04TG, 21DD,22DD,23DD 60DD,69DD,70DD,84DDऔर 86DD) में से 04 नलकूपों (04DD,22DD,23DD,86DD) का संचालन, रख-रखाव (Maintainance&Repair) एवं विद्युत देयको का भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त 04 नलकूपों का विद्युत भुगतान किए जाने के बाद भी वर्तमान में कुल ₹64.47 लाख का विद्युत देयक भुगतान हेतु लंबित है। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	नलकूप संख्या	ग्राम का नाम	असफल का वर्ष	कनैक्शन संख्या	अंतिम भुगतान तिथि एवं राशि (₹)	अवशेष बिल (₹)
1.	04 DD	जौली ग्रांट	2016	DW0K000007925	120876.00	1608807.00
2.	22 DD	जौली ग्रांट	2016	DW0K000007928	160461.00	1255850.00
3.	23 DD	शंकरपुर	2015	VN81515776575	95235.00	3582312.00
4.	86 DD	कालूवाला	2016	DW0K000007930	(-)19300.00	00.00
योग					376572.00	6446969.00

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, उपरोक्त 04 नलकूपो में विभागीय मानको के अनुसार कम निकास होने के कारण असफल घोषित किए गए परंतु स्थानीय कृषको के अनुरोध पर अन्य सिंचाई साधन न होने पर तथा नए नलकूप की स्थापना तक इनका संचालन जारी रखा गया है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ओर उक्त नलकूपों को असफल घोषित किए जाने के कारण सींच नहीं दर्ज की जा रही है वही दूसरी ओर उक्त नलकूपों से कम निकास के बावजूद रख-रखाव एवं विद्युत देयको का भुगतान एक अनार्थिक व्यय (Uneconomical Expenditure)है।

अतः हस्तांतरित नलकूप के विद्युत देयको का अनियमित दायित्व सृजन ₹29.40 लाख एवं असफल राजकीय नलकूप के अनार्थिक संचालन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- दो'ब'</u>

<u>प्रस्तर-2:</u> नलकूपों के पुनर्निर्माण में भूमि अध्यापति की आवश्यकता न पड़ने से उक्त हेतु स्वीकृत राशि `13.95 लाख को शासन को लौटाये जाने की वजाय अन्य मदों पर व्यय किया जाना।

उत्तराखण्डशासनद्वाराशासनादेशस0-1829/II-2018-03(8)/2011 दिनांक 24-09-2018 केमाध्यमसेजनपददेहरादूनकेविकासखण्डसहसपुरमेंदोअसफलहोचुकेनलकूपोंकेपुनर्निर्माणहेतु`168.99 लाखकीप्रशासकीय/
वित्तीयस्वीकृतिइसशर्तकेसाथप्रदानकीगईथीकिधनराशिकेअन्यन्त्रविचलनकिसीदशामेंनहोऔरजहांकहींआवश्यकहोयथावश्यकतासक्षमअधिकारी/ शासनस्वीकृतिव्ययसेपूर्वप्राप्तकरलीजाय।

कार्यालयअधिशासीअभियंता, नलकूपखण्ड, देहरादूनकेअभिलेखोंमेंउपरोक्तकार्यकीलेखापरीक्षाजांच (जुलाई 2020)
मेंपायागयाथाकिखंडीयकार्यालयद्वाराउपरोक्तस्वीकृतिकेअधीनविकासखण्डसहसपुरकेग्रामरामबड़ाकेअसफलनलकूपसंख्या-126 डी.डी. एवंग्रामछरबाकेअसफलनलकूपसंख्या-99 डी.डी. केपुनर्निर्माणहेतुआवश्यकभूमिअध्यापति (Land Acquisition)हेतु`13.95 लाख (क्रमश: `9.00 लाखएवं`4.95 लाख) प्राप्तकिएगएथेपरन्तुआवश्यकभूमिउपलब्धनहोपानेकीदशामेंइननलकूपोंकानिर्माणविभागकेपुरानेनलकूपों केपरिसरमेंहीकियागयाथा।इसतथ्यकेवावजूदभीखण्डद्वाराभूमिअध्यापतिकीराशिकोशासनकोवापसलौटानेकीवजायबिनाशासनकीपूर्वानुमतीकेअन्यमदोंपरव्ययकरडाला।खंडीयलेखोंमेंलगभगसम्पूर्णस्वीकृतराशिके व्यय (`167.47 लाख) केसाथकार्यमार्च 2020 मेंपूर्णदर्जहै।

प्रकरणकोलेखापरीक्षामेंउठायेजानेपरखंडीयकार्यालयद्वाराउत्तरदियागयाथाकिनयेस्थलहेतुस्थानीयकृषकों द्वाराभूमिनहींदीगईथीइसलिएदोनोंनलकूपोंकोपुरानेपरिसरोंमेंहीपर्याप्तस्ट्रेटाप्राप्तकरनेहेतुअनुमानितछिद्रणसेअधिकगहराईतकजानापड़ा।इसप्रकारछिद्रणमेंअतिरिक्तव्ययवहनकरनापड़ाजोस्वीकृतराशिकेअंतर्गत हीकियागया।उत्तरअमान्यथाक्योंकिइननलकूपोंकेवास्तविकछिद्रणआगणितगहराई (200 मीटर) सेकम 180 मीटरसे 183 मीटरकेबीचथेइसलिएइनकार्योंपरभूमिअध्यापतिहेतुस्वीकृतराशि`13.95 लाखकीबचतकरतेहुएउसेशासनकोलौटायाजानाचाहिएथा।

अतःसंधर्वित्तकार्योंपरभूमिअध्यापतिसेसंबन्धितराशि`13.95
लाखकोशासनकोलौटायेजानेकीवजायस्वतःअन्यमदोंपरव्ययकिएजानेकायहप्रकरणप्रकाशमेंलायाजाताहै।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 :राजकीय नलकूपों के संचालन हेतु जल उपभोक्ता समूह का गठन न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि ₹21.35 लाख।

मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून, के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4083/मु॰अ॰या॰/सि॰वि॰/आई-2(आर); दिनांक-27 सितम्बर 2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि, संगठन के अंतर्गत नलकूप चालको (राजस्व कार्मिको) की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत नलकूपो का संचालन जल उपभोक्ता समूह (Water User Group) के माध्यम से किया जाए। समूह द्वारा नलकूप संचालन हेतु एक रजिस्टर (लॉग-बुक) जिसमे नलकूप के संचालन से संबन्धित गतिविधियो को दर्ज किया जाएगा। विभागीय कार्मिक यथा नलकूप चालक/सींच पर्यवेक्षक/जिलेदार द्वारा नलकूपो का संचालन कर रहे जल उपभोक्ता समूह के सींच रजिस्टर से मिलान कर पड़ताल कर सींच आकड़े प्राप्त कर विभागीय अभिलेखो में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,नलकूप खंड,(सिंचाई विभाग), देहरादून के अंतर्गत राजकीय नलकूपों के संचालन व सींच संबंधी अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (जुलाई 2020) में पाया गया कि, खंड में नलकूप चालक के स्वीकृत 40 पद के सापेक्ष मात्र 21 नलकूप चालक कार्यरत है, इनके द्वारा 127 नलकूपो का संचालन एवं सींच इन्द्राज का कार्य किया जा रहा है, अवशेष 73 नलकूपों की सींच नलकूप चालको (राजस्व कार्मिको) की कमी के कारण दर्ज नही की जा रही थी। उक्त के बावजूद माह जुलाई 2020 तक खंड के अंतर्गत कुल चालित लगभग 200 नलकूप के सापेक्ष मात्र 33 जल उपभोक्ता समूह का गठन किया गया है। जांच में यह भी पाया कि, उक्त 73 नलकूप जिसकी सींच नहीं दर्ज की जा रही है उसमे से मात्र 12 नलकूप के संचालन हेतु समूह का गठन किया गया है। अवशेष 61 नलकूपका सींच दर्ज कार्मिक पदस्थापित न होने/समूह का गठन न होने के कारण नलकूपो से ₹21,34,512 की राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया कि, विभाग के अधिकारियों द्वारा, उपरोक्त 33 समूहों के नलकूप रजिस्टर (लॉग-बुक) की जांच भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है परिणामस्वरूप समूहो द्वारा वर्तमान तक न तो जमाबंदी की सूचना खंड को प्रेषित की जा रही है और न ही बैंक में खाता खोला गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, समूह गठन की कार्यवाही गतिमान है, समूहो को खाता खोलने हेतु निर्देशित किया जाएगा, खाता खोलने के उपरांत जमाबंदी की सूचना प्राप्त की जाएगी।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नलकूप चालको (राजस्व कार्मिको) की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत ही नलकूपो का संचालन जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से किए जाने हेतु मुख्य अभियंता (यांत्रिक), द्वारा निर्देशित किए जाने के लगभग 21 माह बीतने के उपरांत भी गठन न किए जाने के कारण राजकोष को ₹21,34,512 की राजस्व प्राप्ति नहीं हुई।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
29/2002-03	1	-	-
29/2004-05	1	-	
51/2005-06	1, 2	-	-
54/2007-08	1, 2, 3	-	-
73/2010-11	1	1	-
80/2011-12	-	1	-
11/2013-14	-	1	-
43/2015-16	-	1, 2, 3	-
50/2016-17	-	1, 2, 3	-
28/2017-18	-	1, 2, 3	-
33/2018-19	1	1,2,3,4,5,6	
55/2019-20	1,2	1,2,3,4	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि उक्त प्रस्तर के संबंध में उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है। अत: उक्त अनिस्तारित प्रस्तर यथावत रखे जा सकते है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य–

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहनकिया गया:-**

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	श्री वीरेन्द्र सिंह पाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

5. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे:-**

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	वरि॰ प्रभागीय लेखाधिकारी	दिनांक 10.08.2018 से वर्तमान तक

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंन मूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालयप्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउपमहालेखाकार/ए॰एम॰जी॰- I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी॰ - I